

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर  
अपील संख्या- 276/2014 अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट  
(GCMS No. 2014/00074)

अनवान:

1. श्रवण कुमार पुत्र स्व. श्री सावनाराम जाति बावरी निवासी सतजण्डा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा पैरोकार राज।
2. दलीप कुमार पुत्र सावणाराम जाति बावरी निवासी सतजण्डा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर वगैरह।

18.09.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को बार-बार आवाज लगाई गई, बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांट उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांट स्वयं उपस्थित हुए। अभिभाषक अपीलांट को रेस्पोंडेंट संख्या 7, 8 के निमित्त सम्मन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 05.04.2017 से लगातार पाबन्द किया जाता रहा है, किन्तु अभिभाषक अपीलांट को बार-बार पाबन्द किये जाने के बावजूद आदिनांक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपीलांट द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछ लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांट को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक तक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये है। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलांट राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1)(2) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम तकमील में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 18.09.2024 को सुनाया गया।

१५/२३/१२/२४  
(वन्दना सिंघवी)  
संभागीय आयुक्त,  
बीकानेर